भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2384 जिसका उत्तर

मंगलवार, 21 मार्च, 2023 (30 फाल्गुन, 1944 (शक)) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास

2384 # श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने किलोमीटर लम्बा अंतर्देशीय जलमार्ग है;

(ख) उक्त जलमार्ग में से कितने किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष योजना बनाई गई है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन और प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): भारत में, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से घोषित 111 जलमार्गों की लंबाई 20186.65 कि.मी. है।

(ख): वर्तमान में, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 22 राष्ट्रीय जलमार्गों पर दर्ज की गई कार्गो आवाजाही लगभग 3383 कि.मी. लंबाई को कवर करती है।

(ग) और (घ): इन जलमार्गों के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर कार्गो और यात्री आवागमन के लिए व्यवहार्य पाए गए, 26 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए कार्रवाही योजना बनाई गई है। कार्गो और यात्री आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। 18 राष्ट्रीय जलमार्गों पर विकास हेतु शुरू किए गए कार्य **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

कार्गो/यात्री आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	जलमार्गों का ब्यौरा	लंबाई (कि.मी.)	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा –भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया – इलाहाबाद)	1620	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के माध्यम से **जलमार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत विकास कार्य किए गए।
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (ढुबरी-सादिया)	891	असम	स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के संदर्भ में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार विकास कार्य किए गए।
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी (लखीपुर-दुकर ग्राम)	121	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	205	केरल	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्ग। विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजयवाड़ा-मुक्तयाला)	82	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पारादीप	233	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलप्पुझा -चंगनसरी नहर	29	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमप्पुझा नहर	40	केरल (वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.)	
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी (कोर्टालिम-फेरी से साओ मार्शियस विधान परिषद)	17	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डोवी नदी (उसगांव ब्रिज से अरब सागर)	41	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी (सैनवोर्डेन ब्रिज से मुरगांव पत्तन)	50	गोवा	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपनारायण नदी (प्रतापपुर से जियोनखाली)	72	पश्चिम बंगाल	
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग (नामखाना से अथाराबंकी खाल)	172	पश्चिम बंगाल	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	घाघरा नदी (फैजाबाद से मांझी घाट)	345	बिहार और उत्तर प्रदेश	

15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी (कोडसल्ली बांध से सदाशिवगढ़ ब्रिज, अरब सागर)	53	कर्नाटक	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी (गोबरा के ब्रिज से बांग्लादेश सीमा के निकट बांसझारी तक)	63	पश्चिम बंगाल	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी (बनठई गांव तिनाली बस स्टॉप से चंद्रपुर नं-2 पर ब्रह्मपुत्र के संगम स्थल तक)	50	असम	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 31	धनसीरी नदी (मोरोंगी टी.ई. गांव के पुल से नुमलीगढ़ तक)	110	असम	
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी (अरब सागर, धर्मतार क्रीक से नागोठाणे एसटी स्टैंड)	45	महाराष्ट्र	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्ग और दो चरणों में विकास के लिए चयनित
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	दाभोल क्रीक वशिष्ठी नदी (दाभोल में अरब सागर से पेढ़े के पुल तक)	45	महाराष्ट्र	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	चपौरा नदी (मनेरी गांव के निकट ब्रिज से मोरजिम, अरब सागर)	25	गोवा	
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	गंडक नदी (भैसालोटल बराज से हाजीपुर)	296	बिहार और उत्तर प्रदेश	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी (पंढरिया से खंभात की खाड़ी तक)	226	महाराष्ट्र और गुजरात	
24.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली (रेवदांडा में अरब सागर से रोहा नगर के निकट ब्रिज तक)	31	महाराष्ट्र	
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी (सोन बराज, डेहरी से गंगा के संगम स्थल तक)	141	बिहार	
26.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी (हटनूर डैम से खंभात की खाड़ी तक)	436	महाराष्ट्र और गुजरात	

अनुबंध-II

राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किए गए विकास संबंधी कार्य

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>राष्ट्रीय जलमार्गों पर विकास कार्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 03.1.2018 को 5,369.18 करोड़ रु. की लागत पर अनुमोदित रा.ज.-1 (वाराणसी-हल्दिया जलखंड, 1390 कि.मी.) पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)। इसके मुख्य घटक निम्न हैं:
<table>
<tr><td>राज्यों के साथ उप-परियोजनाएं</td></tr>
<tr><td>एमएमटी वाराणसी (उत्तर प्रदेश)</td></tr>
<tr><td>एमएमटी साहिबगंज (झारखंड)</td></tr>
<tr><td>एमएमटी हल्दिया (पश्चिम बंगाल)</td></tr>
<tr><td>फरक्का (पश्चिम बंगाल) पर नया नौचालन लॉक गेट</td></tr>
<tr><td>आईएमटी कालूघाट (बिहार)</td></tr>
<tr><td>उत्तर प्रदेश में सामुदायिक जेट्टी का विकास</td></tr>
<tr><td>फेरयवे विकास</td></tr>
<tr><td>फरक्का- कहलगांव जलखंड (146 कि.मी) - (पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार)</td></tr>
<tr><td>सुल्तानगंज- महेन्द्रपुर जलखंड (74 कि.मी)- (बिहार)</td></tr>
<tr><td>महेन्द्रपुर – बाढ़ जलखंड (71 कि.मी) - (बिहार)</td></tr>
<tr><td>07 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण कार्य(जेएमवीपी- ।।)- (उत्तर प्रदेश)</td></tr>
<tr><td>शेष जलखंडों के लिए फेयरवे के विकास की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है (पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश)।</td></tr>
</table>

अर्थ गंगा (जेएमवीपी-।।) की अवधारणा हुगली नदी सहित रा.ज.-1 के किनारों के साथ सामाजिक-आर्थिक-विकास को गति देने के लिए की गई है। जेएमवीपी-II के अंतर्गत परियोजना का कार्यान्वयन नदी के आस-पास रहने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसका उद्देश्य गंगा के पुनर्जीवन सहित जनता की भागीदारी और आर्थिक विकास को जोड़ना है। जेएमवीपी-।। के तहत यह कार्यक्रम छोटे किसानों, मत्स्यन इकाईयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाईयों, बागबानों, फूलवालों और कारीगरों को नजदीकी बाजार स्थानों पर पहुंचने के लिए सरल लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करेगा, जिससे पर्याप्त रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्र में व्यापक आर्थिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी।

जेएमवीपी-।। के तहत उप-परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:
• रा.ज.-1 पर सामुदायिक जेट्टियों (एचडीपीई, इस्पात एवं कंक्रीट) का विकास क्लस्टर-। (उत्तर प्रदेश)
• रा.ज.-1 पर सामुदायिक जेट्टियों (एचडीपीई, इस्पात एवं कंक्रीट) का विकास क्लस्टर-।। (बिहार और झारखंड)
• रा.ज.-1 पर सामुदायिक जेट्टियों (एचडीपीई, इस्पात एवं कंक्रीट) का विकास</td></tr>
</table>

	क्लस्टर-।।। (पश्चिम बंगाल) • रो-रो टर्मिनलों के 5 जोड़ों का निर्माण – जून, 2023 में एनआईटी जारी की जानी है। • एफआरपी (12) तथा निरीक्षण नौकाओं (04) की आपूर्ति – एफआरपी नौकाएं (12) • 10.92 करोड़ रु. की लागत पर सागर-फरक्का जलखंड में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) का ओएंडएएम तथा सीएएमसी जून, 2022 में सौंपा गया। • फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक का नवीकरण और आधुनिकीकरण
2	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-2 के विकास के लिए व्यापक परियोजना:** • राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (रा.ज.-2) धुबरी (बांग्लादेश सीमा) तथा सादिया (असम) के बीच का 891 कि.मी. लंबाई वाला ब्रह्मपुत्र नदी का एक जलखंड है। • रा.ज.-2 के व्यापक विकास के लिए 474 करोड़ रु. की लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस परियोजना में फेयरवे विकास, जोगीघोपा और बोगीबिल में टर्मिनलों के निर्माण के साथ ही अन्य गतिविधियां जैसे फेयरवे विकास, टर्मिनलों और जलयानों का ओएंडएम आदि शामिल है। • इसके साथ ही, 208 करोड़ की लागत पर असम में पांडु, गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा के निर्माण तथा 180 करोड़ की लागत पर गुवाहाटी में पांडु पत्तन के लिए एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु एक परियोजना कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है।
3	**रा.ज.-16 एवं आईबीपी मार्ग के विकास के लिए व्यापक परियोजना:** • राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (रा.ज.-16) बराक नदी में 121 कि.मी. लंबाई का भंगा से लखीपुर तक का एक जलखंड है, जिसमें भारत का इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी मार्ग) शामिल है। • रा.ज.-16 और आईबीपी के व्यापक विकास के लिए 148 करोड़ रु. की लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस परियोजना में फेयरवे विकास, गुमटी नदी में सोनामुरा में तथा गंगा नदी में मईया में टर्मिनलों का निर्माण शामिल है। इसमें बदरपुर तथा करीमगंज टर्मिनलों का उन्नयन भी शामिल है
4	**रा.ज.-3 (पश्चिम तट नहर, चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरें) परियोजनाएं :**
i	थ्रिकूनपुझा में 38 करोड़ रु. की लागत पर नए नौचालन लॉक का निर्माण
ii	6.75 रु. की लागत पर एडाप्पल्लीकोट्टा और कोल्लम जलखंड में शेष कैपिटल ड्रेजिंग और चौड़ीकरण कार्य का निष्पादन; निविदा प्रक्रिया चल रही है।
iii	जलमार्ग पर वार्षिक आधार पर फेयरवे, टर्मिनलों, नौचालन सहायताओं और जलयानों के प्रचालन और रखरखाव कार्य
5	**रा.ज.-4 के हिस्से की परियोजनाएं** (कृष्णा नदी विजयवाड़ा– मुक्तयाला जलखंड): अभी तक पूरी कर ली गई परियोजनाओं में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्तयाला खंड में फेयरवे विकास कार्य, चार तैरने वाले पंटूनों को बनाना/ स्थापित करना और हर्षचन्द्रापुरम और मुक्तयाला में रो-रो टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल हैं। इब्राहिमपट्टणम पर आर रो-रो टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ प्रारंभ

	कर दिया गया है जिसके लिए धन हस्तांतरित कर दिया गया है ।	
6	चरण-I में पंकापल से धामरा पत्तन– मंगलगड़ी-पारादीप पत्तन तक 212 कि.मी. दूरी वाली रा.ज.-5 के हिस्से की **परियोजनाओं** का विकास निम्नलिखित गतिविधियों के साथ किया जा रहा है: क) पारगमन संरचनाओं / पुलों के लिए गहराई तथा क्षैतिज / लंबवत उपलब्धता के आकलन हेतु मासिक लांगिट्यूडनल थालवेग सर्वेक्षण (212 कि.मी.) । ख) निम्नलिखित के लिए परामर्श कार्य प्रारंभ कर लिया गया है / पूरा कर लिया गया है: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी, जिसके बाद हाइड्रॉलिक मध्यवर्ती कार्यों, नौचालन उपलब्धता के लिए पारगमन संरचनाओं में संशोधनों के लिए फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन (एफईईडी) तैयार किया जाएगा। सी आर ज़ेड और वन्य जीव अनापत्तियों सहित पर्यावरण अनापत्ति (ईआईएएंडईएमपी) के संबंध में – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 05 जनवरी, 2021 को सूचित किया कि किसी प्रकार की ई सी आवश्यक नहीं है । केवल सी आर ज़ेड और वन्य जीव अनापत्तियां ही ओडिशा सरकार से हासिल करनी है । • धामरा/पारादीप से पंकापल तक मौजूदा बिजली की तारों के नीचे नौचालन उपलब्धता ओडिशा सरकार के माध्यम से डिपोजिट आधार पर पूरी होने को है । • नई पहल के अंतर्गत रा.ज.-64 (महानदी) पर पारादीप पत्तन तक (रा.ज.-5) पर इफ्फको नदीय जेट्टी से जिप्सम का संचलन प्रारंभ हो गया है । 31 अक्तूबर, 2022 तक लगभग 1,55,181 मीट्रिक टन प्रेषित किया जा चुका है । इससे इफ्फको संयंत्र पर जिप्सम की इक्कठी हो रही भारी मात्रा (लगभग 52 मिलियन एम टी) साफ हो जाएगी । आईडब्ल्यूएआई और अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच पश्चिम बंगाल और बिहार में हुगली–गंगा नदी प्रणाली के आस पास इनके संयंत्रों तक जिप्सम के परिवहन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । ब्राहम्णी (रा.ज.-5) और महानदी (रा.ज.-64) नदियों पर जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए पीपीपी के अंतर्गत पारादीप और धमरा पत्तनों को कलिंगनगर-तलचर खदानों और औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक ई ओ आई प्रकाशित किया गया है ।	
7	रा.ज.-8 (अल्लापुझा-चंगनसेरी नहर)- डी पी आर की सिफारिशों के अनुसार विकास प्रस्तावित है। 24 घंटे नौचालन सहायता उपकरण (15) महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध करवाए गए हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है।	
8	रा.ज.-9 (अल्लापुझा - कोट्टयम– अथिरमपुझा नहर)- 1.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग के विकास का कार्य वर्ष 2017-18 में प्रारंभ हो गया है। रात्रि के समय नौचालन की सुविधाएं (25) स्थापित की गई हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है ।	
9	रा.ज.-27 कंबरजुआ नदी	गोवा के रा.ज., गोवा सरकार, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रचालित हैं । गोवा के राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास 22.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रारंभ हो चुका है । मांडोवी नदी और चापोरा नदी पर 4 फ्लोटिंग जेट्टियों की स्थापना का कार्य, जिसकी लागत 11.33 करोड़ रु. है, प्रारंभ कर दिया गया है । इसके अलावा, नौचालन सहायक उपकरणों की स्थापना के लिए दिनांक 02.04.2022 को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण को 6.84 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है । वर्ष 2023-24 तक 15 करोड़ रु. का एक प्रावधान किया गया है ।
10	रा.ज.-68 मंडोवी नदी	
11	रा.ज.-111 जुआरी नदी	
12	रा.ज.-40 (घाघरा नदी – अयोध्या से घाघरा-गंगा संगम)-	

	बंडलिंग और दिवस जलमार्ग चिह्नित करने, फ्लोटिंग टर्मिनलों के सृजन तथा मासिक सर्वेक्षणों के द्वारा फेयरवे विकसित करने के लिए 11.60 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। जलमार्ग के चरण -I के अंतर्गत विकास हेतु वर्ष 2022-23 के दौरान 3.12 करोड़ रु. की एक योजना संस्वीकृत की गई है।
13	रा.ज.-86 {पश्चिम बंगाल में रुपनारायण नदी (प्रतापपुर से जियोनखली)}- 24.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। कोलाघाट पर राष्ट्रीय जलमार्ग (एन.एच.) से जलसीमा टर्मिनल तक सड़क का सुधार कार्य 15.45 करोड़ रु. की लागत पर सिंचाई विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डिपोजिट आधार पर किया जा रहा है। फ्लाई ऐश कार्गो की लदाई और उतराई को सुकर बनाए जाने के लिए फ्लोटिंग पन्टून जेट्टी निर्माणाधीन है। कोलाघाट पर स्थायी टर्मिनल भी प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जून 2022 में पूरा कर लिया गया है और वार्षिक योजना के माध्यम से विकास कार्य पर विचार किया जा रहा है।
14	रा.ज.-97 {पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग (नमखाना से अथरा बांकी खल)}- 18.10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। नौचालनात्मक चिह्न / बॉयज़ उपलब्ध करवाए गए हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है। यह जलमार्ग इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का एक भाग हैं और जलयानों के लिए पहले से ही प्रचालन कर रहा है।
15	रा.ज. 52 कर्नाटक में राज्य सरकार के माध्यम से डिपोजिट आधार पर काली नदी (कोडासल्ली बांध से सदाशिवगढ़ सेतु, अरब सागर)- रा.ज.-52 (काली नदी) के विकास के लिए दिनांक 12.08.2021 (वित्तीय वर्ष 2021-22) को निदेशक, पत्तन एवं आईडब्ल्यूटी विभाग, कारवार, को कर्नाटक राज्य सरकार के माध्यम से 2.70 करोड़ रु. जारी किए गए हैं, जिससे पर्यटन विकास के लिए फ्लोटिंग जेट्टी (2) अर्थात सदाशिवगढ़ और काटने गांव में (2.54 करोड रु. की लागत पर) और नौचालन सहायता उपकरण (0.16 करोड़ रु. की लागत पर) उपलब्ध करवाने होंगे।
16	रा.ज. 44 इच्छामती नदी (गोबरा के पुल से बांग्लादेश सीमा के पास बांसझाड़ी तक)- इच्छामती नदी (रा.ज.-44) पर तैयार किए गए डीपीआर के अनुसार, बांसझाड़ी, मलिकपुर (सीएच. 0 कि.मी.) से परनईहाटी (सीएच. 10 कि.मी.) तक के 10 कि.मी. के जलखंड में श्रेणी-III मानकों में जलमार्ग विकास प्रस्तावित किया गया है। और उपरोक्त जलखंड में जलीय सर्वेक्षण गतिविधियां प्रगति पर है।
17	रा.ज.-57 कोपिली नदी (बंथई गांव तिनाली बस स्टॉप से ब्रह्मपुत्र के साथ चंद्रपुर संख्या 2 संगम तक) – रा.ज.-56 के 10 कि.मी. जलखंड के नौचालन मार्ग का विकास कार्य ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) को सौंपा गया है।
18	रा.ज.-31 धनसिरी नदी (मोरोंगी टी.ई. गांव पुल से नुमलीगढ़ तक) – ओडीसी/ओडब्ल्यूसी और परियोजना कार्गो आवागमन को सुगम करने के लिए धनसिरी नदी की ड्रेजिंग का कार्य ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) को सौंपा गया है।

*****